-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि दिनांक 01.07.2026 की देर रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस गश्त एवं चेकिंग के दौरान फात्मा गर्ल्स इंटर कालेज के पास खाली मैदान में एक व्यक्ति के तमंचा लिए खडे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पवन पुत्र जागेश्वर निवासी अकबई थाना खन्ना जनपद महोबा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 334/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री शुभम कौशिक चौकी प्रभारी कालवनगंज
2. कां0 आलोक कुमार